तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 09/2022 परसाराम बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता श्री सत्यपाल रसकरण उपस्थित। दौराने बहस अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व ग्राम बगड़ तहसील झुंझुनूं के गत खसरा नं. 45 तादादी रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा स्थित थी। बाद में राजस्व ग्राम बगड में से एक अलग राजस्व ग्राम कायस्थपुरा बना जिससे यह जमीन राजस्व ग्राम कायस्थपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। दौराने पैमाईश गत खसरा नं. 45 के वर्तमान खसरा नं. 165 रकबा 1.10 है0 तथा खसरा नं. 166 रकबा 1.08 है0 बने है। जमीन जैर बहस के खातेदार पूर्व में बनवारीलाल पुत्र भगवाना राम तथा हनुमानप्रसाद, रामलाल पुत्रगण रतिराम खातेदार काश्तकार थे। उक्त भूमि में बनवारी लाल 1/2 हिस्से का तथा हनुमान प्रसाद व रामलाल का 1/2 हिस्सा था। उक्त हनुमानप्रसाद व रामलाल ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.1987 को उपपंजीयक झुंझुनूं के यहां आवेदक के हक में तस्दीक करवाया था जिसका नामान्तकरण संख्या 1506 दिनांक 04.03.0989 को तस्दीक होकर जमीन जैर बहस आवेदक के नाम दर्ज हो गई। सम्वत 2044 से 2048 को सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मियों ने खसरा पत्रक बनाया जिसके कॉलम नम्बर 22 व 23 में विक्रेता हनुमान प्रसाद व रामलाल का नाम पुनः दर्ज कर दिया जिससे राजस्व रिकॉर्ड गलत हो गया जिसको दुरूस्त कर दिया जाये। —: विवेचन :— उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा वकील प्रार्थी को मुताबिक जमाबंदी पक्षकार संयोजित करने हेतु आदेशित किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर जबाब हेतु अवसर दिया गया। प्रार्थीगण की तलबी अदम प्राप्त होने पर तामील जरिये अखबार करवाई गई। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजस्व रिकॉर्ड की रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनूं से ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.03.2022 को पेश की। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 5 में स्पष्ट किया है कि सैटलमेंट के बाद की जमाबंदी में खसरा नं. 165 व 166 की खातेदारी बनवारी लाल पुत्र भगवानाराम जाति माली हिस्सा 1/2 व परसाराम पुत्र मुकन्दाराम जाति रैगर हिस्सा 1/2 होनी चाहिए थी जबकि परसाराम पुत्र मुकन्दाराम की जगह हनुमान प्रसाद, रामलाल पुत्रगण रतीराम के नाम दर्ज हो गई। तहसीलदार रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6 में ग्राम कायस्थपुरा में खसरा नं. 165 व 166 में हनुमानप्रसाद, रामलाल पुत्रगण रतीराम हिस्सा 1/2 के बजाय परसाराम पुत्र मुकन्दाराम हिस्सा 1/2 करवाना चाहता है जो उचित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है। लिहाजा :— —: आदेश :— प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कायस्थपुरा पटवार हल्का कासिमपुरा तहसील झुंझुनूं के भूमि खसरा नं. 165, 166 किता 2 का कुल रकबा 2.18 है0 में खातेदार हनुमानप्रसाद पुत्र रतिराम हिस्सा 1/4 व खातेदार रामलाल पुत्र रतिराम हिस्सा 1/4 का नाम हजफ कर इनकी जगह परसाराम पुत्र मुकन्दाराम जाति रैगर को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 22.07.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।	

Scanned with OKEN Scanner